न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 03/2021 GCMS No 2021/7

दायरा तिथि : 04.01.2021

निर्णय तिथि : 25-8-2021

वादी:–

मोतीसिंह पुत्र अमरसिंहजी जाति राजपुत
निवासी जीवदा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. केसरसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपुत
   निवासी जीवदा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतसिंह राजपुरोहित ..... अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री विक्रमसिंह सोलंकी ..... अभिभाषक प्रतिवादी संख्या–01 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक 25-8-2021

वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 251 रकबा 1.34 हैक्टर व खसरा नंबर 252/1 रकबा 0.26 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.60 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में 1/7 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अपने वादपत्र में वादी द्वारा इसका आधार यह बताया कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 केसरसिंह व अन्य सह खातेदारान् सयुक्त द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि **मैसे प्रतिवादी संख्या–01 केसरसिंह का 1/21 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 27.08.2012** के खरीद किया था। भूमि खरीद का नामान्तरकरण वादी के नाम दर्ज नहीं होने से पुर्व रेकर्डेड खातेदारो द्वारा इस न्यायालय में दायर राजस्व वाद संख्या 56/2013 में वादी को पक्षकार बनाये बिना विभाजन के वाद में फाईनल डिक्री जारी कर दी गई, एवं बेचानकर्ता **प्रतिवादी संख्या–01 केसरसिंह का** नाम विभाजन की फाईनल डिक्री में खसरा नंबर 251, 252/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.60 हैक्टर में बतौर राहखातेदार मानते हुये **केशरसिंह, रामसिंह,भबुतसिंह पि. खीमसिंह बादलकंवर, पूनमकंवर, पवनकंवर पुत्रिया खीमसिंह धरमीकंवर पत्नि खीमसिंह राजपुत सा.देह खातेदार** इन्दाज करते हुये विभाजन की फाईनल डिक्री जारी कर दी गई। जिससे वादी अपनी खरीद शुदा भूमि के हक अधिकार पाने की अधिकारी होने से घोषणा खातेदारी चाही। अपने वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य नकल विक्रय विलेख पत्र दिनांक 27.08.2012, नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खसरा नंबर 251, 252, 253/606, नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खसरा नंबर 249, 250, नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नंबर 251, 252/1 प्रतियाँ पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या–01 को जबाबदावा पेश करने के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद जबाब पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 4.08.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या–01 द्वारा भूमि का बेचान वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से वर्ष 2012 में कर दिया जाने से जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 खसरा नंबर 251, 252/1 में बतौर सह खातेदार दर्ज केशरसिंह की जगह वादी को खातेदार घोषित किया जाने बाबत् राहमति व्यक्त की गई। प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त करने तथा प्रतिवादी संख्या–02 तहसीलदार, बाली के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से तहसीलदार, बाली का जबाब अवसर बन्द करते हुये वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में यह प्रमाणित तथ्य हैं कि प्रतिवादी संख्या–01 केशरसिंह द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, रोण के खसरा नंबर 161, 251, 252, 253/606 कुल खसरा–04 कुल रकबा 4.81 हैक्टर में निहित अपना 1/21 वा हिस्सा वादी मोतीसिंह को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के माध्यम से दिनांक 27.08.2012 को बेचान किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 पर लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 453 दिनांक 7.2.2017 (बटवारा डिक्री आदेश) के द्वारा ग्राम जीवदा (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का, रोण के खसरा नंबर 251, 252/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.60 हैक्टर मे केशरसिंह, रामसिंह, भबुतसिंह पि. खीमसिंह बादलकंवर, पूनमकंवर, पवनकंवर पुत्रिया खीमसिंह धरमी कवर पत्नि खीमसिंह राजपुत सा.देह खातेदार दर्ज किया जाना प्रमाणित है।

पेज लगातार

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद संख्या : 03/2021 GCMS No 2021/7 अनवान मोतीसिंह बनाम केशरसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

इसी प्रविष्टि को जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में भी दोहराया जाना दर्ज इन्द्राजो के अवलोकन से बखूबी प्रमाणित है। उक्त दोनो ही इन्द्राज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी संख्या–01 के द्वारा भूमि बेचान करने के बावजुद पुनः वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज हुआ है। जिससे वादी विधिक तौर पर वादग्रस्त भूमि ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 251, 252/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.60 हैक्टर के 1/7 हिस्सा का केशरसिंह के स्थान पर खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी बनता है। प्रतिवादी संख्या–01 के अधिवक्ता भी वादपत्र में वर्णित तथ्यो से सहमति प्रकट करते हुये भूमि वापी द्वारा खरीद कर देने से केशरसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार दर्ज किये जाने में सहमत हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम जीवदा (बाहरी क्षैत्र) के खसरा नंबर 251, 252/1 कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.60 हैक्टर के 1/7 हिस्सा में बतौर सह खातेदार दर्ज केशरसिंह के स्थान पर वादी मोतीसिंह को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत खातेदार घोषित किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। रेकर्ड में अमल दरामद के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेणा को लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल पारीक)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी बाली

निर्णय आज दिनांक 25-8-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner